7/6/78

मजिस्ट्रेट साहब न्यायालय अपने पत्र दिनांक खास्ता में मेरा पुत्र मनमोहन सिंह के अवैध रूप से गायब की गई रिपोर्ट का अनुसंधान किया जाने के संबंध में मालूम हुआ कि प्रतिवादी सिं० जगदीश अपने ही लड़के व पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है जिसकी आपराधिक प्रकरण की रिपोर्ट थाना नहीं अतः इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं है। अतः पत्रावली को खारीज किया जाता है। मजिस्ट्रेट के प्रकरण रिकार्ड दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner